रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 302] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 28, 2002/चैत्र 7, 1924

No. 302] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 2002/CHAITRA 7, 1924

CENTRAL LIBRARY GOVT. OF INDIA

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2002

का. आ. 347(अ).—झारखंड की राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उन कार्मिकों को अभियोजन की मंजूरी की बाबत, जिन्हें बिहार और झारखंड के उत्तरवर्ती राज्यों को अनन्तिम रूप से या अंतिम रूप से आवंटित किया गया है संबंधित उत्तरवर्ती राज्यों की अधिकारिता को स्पष्ट करते हुए निदेश जारी करने का अनुरोध किया है;

और केन्द्रीय सरकार, इस प्रकार किए गए अनुरोध की सावधानीपूर्वक परीक्षा करने के पश्चात् बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) के भाग 8 (सेवाओं के संबंध में उपबंध) के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए बिहार और झारखंड की राज्य सरकारों को कतिपय निदेश देना आवश्यक समझती है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि नियत दिन, अर्थात् 15 नवम्बर, 2000 से ही,—

(i) जहां सतर्कता जांच अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध लंबित हैं, वहां वे सतर्कता जांचे उस उत्तरवर्ती राज्य द्वारा पूरी की जाएंगी जिसको उक्त अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी आवंटित किया गया है। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा भी उनके कार्यालय ज्ञापन सं. 13013/8/2000-अ. भा. से. (1), तारीख 20-12-2000 द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है, और

(ii) जहां कोई सतर्कता जांच, जिसके अंतर्गत ऐसी कोई सतर्कता जांच भी है, जो बिहार के पुनर्गठन के पूर्व संयुक्त बिहार राज्य द्वारा आरंभ की गई हो, पूरी हो गई है और राज्य सरकार द्वारा यह अवधारण किया जाना है कि क्या निष्कर्षों से अनुशासनिक कार्यवाहियां आरंभ किया जाना या ऐसी सतर्कता जांच (जिसके अंतर्गत अन्वेषण भी है) की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर कोई अन्य कार्रवाई किया जाना आवश्यक है, तब ऐसा अवधारण उस राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा जिसे अंतिम रूप से अधिकारी को आवंटित किया गया है।

इस आदेश की किसी बात से यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रवर्तन पर प्रभाव डालती है।

[फा. सं. 12012/19/2000-एस. आर. (भाग-IV)]

यज्ञेश्वर शर्मा, निदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 28th March, 2002

S.O. 347 (E).— Whereas, the State Government of Jharkhand have requested the Central Government for issue of directions clarifying the jurisdiction of the respective successor States with respect to sanctions of prosecution for personnel who have been provisionally or finally allocated to the successor States of Bihar and Jharkhand;

And whereas, the Central Government, after careful examination of the request so made, considers it necessary to give certain directions to the State Government of Bihar and Jharkhand, for the purpose of giving effect to the provisions of PART VIII (Provisiona as-to Services) of the Bihar Reorganisation Act, 2000 (30 of 2000);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 76 of the Bihar Reorganisation Act, 2000, the Central Government hereby directs that on and from the appointed day, i.e. the 15th day of November, 2000,—

(i) where vigilance enquiries are pending against All India Service officers, those vigilance enquires shall be completed by the successor State to which the said All India Service officer has been allocated. This has also been clarified by the Department of Personnel and Training, vide their O.M. No. 13013/8/2000-AIS(I), dated 20-12-2000, and

(ii) where a vigilance enquiry, including any vigilance enquiry which may have been initiated by the composite State of Bihar prior to the reorganisation of Bihar, has been completed and a determination is to be made by the State Government as to whether the findings warrant initiation of disciplinary proceedings or any other action based on a final report of such vigilance inquiry (including investigation), the such determination shall be made by the State Government to which the officer has been finally allocated.

Nothing in this Order shall be construed to affect the operation of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951), or the rules made thereunder.

[F. No. 12012/19/2000-SR (Part-IV)]
JOJNESWAR SHARMA, Director

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.